जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की बैठक में सात प्रकरणों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को दी राहत

जयपुर, 05 अगस्त। जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (कारपोरेट लेवल कन्ज्यूमर ग्रिवांस रिड्रेसल फोरम) की बैठक में विवादित राशि के प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 7 बिजली उपभोक्ताओं के प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए राहत दी गई।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि मंगलवार को आयोजित बैठक में बिजली उपभोक्ताओं के बिलिंग व मीटर रीडिंग में त्रुटि, औसत बिलिंग का सही नही होना, नियमों के अनुसार बिलिंग न हो तथा आडिट द्वारा निर्धारित की गई राशि से सम्बन्धित 3 लाख रुपए से अधिक सीमा के विवादित 11 प्रकरणों में उपभोक्ता एवं निगम के अधिकारियों का पक्ष सुना गया एवं नियमानुसार 7 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए उनको राहत प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि शेष 4 प्रकरणों में पुनः समीक्षा करने के उपरान्त निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की आगामी बैठक में सुनवाई की जाएगी। इन प्रकरणों में निगम के अधिकारियों से प्रकरण से सम्बन्धित अतिरिक्त आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

श्री सावंत ने बताया कि इस बैठक में प्रकरण से सम्बन्धित प्रत्येक उपभोक्ता को सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए निगम के सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता से तथ्यों को प्राप्त कर उसका निस्तारण किया जाता है। बैठक में निगम के निदेशक (तकनिकी), निदेशक (वित्त), मुख्य अभियन्ता (पवस), मुख्य अभियन्ता (पीपीएम), अधीक्षण अभियन्ता (लीगल), एवं राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नामित सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता श्री एन.एम.सरीन भी उपस्थित रहें।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 254/2015